प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या – 07/2022 आर.टी.आई. दायर दिनांक – 27.09.2022

अपीलार्थीः **श्री विनोद गहलोत पिता श्री देवकृष्ण टेलर, 78, गणेशघाटी, उदयपुर–313001**

बनाम

प्रत्यर्थीः **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर**

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 19/10/22

श्री विनोद गहलोत, उदयपुर ने सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 23.09.2022 (जरिये आरटीआई पोर्टल) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उपलब्ध सूचना/जवाब से असंतुष्ट होने से तथा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की पालना नही किये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र कमांक 3540 दिनांक 27.09.2022 से श्री विनोद गहलोत द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति–उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 07.10.2022 को प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया कि–

"अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में सूचना का अधिनियम–2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन दिनांक 22.07.2022 को प्रेषित कर 05 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई। उक्त आवेदन पर अपीलार्थी को वांछित देय सूचना पत्रांक एफ.17/14( )/आर.टी.आई./2022/3107 दिनांक 25.08.2022 से ससमय उपलब्ध कराई गई। ***अपीलार्थी के प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी, द्वारा अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।***

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

उक्त सूचना से असतुंष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा श्रीमान समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और उक्त सभी बिन्दुओं पर उज्र प्रस्तुत किया, जिस पर वांछित टिप्पणी निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1. अपीलार्थी द्वारा आवेदन के **बिन्दु संख्या-1 से 5** में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.02.2020 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर/रिपार्ट में श्रीमती अर्चना रांका, श्रीमान सोमनाथ मिश्रा एवं श्री भवानीसिंह देथा के हस्ताक्षरित नोटशीट व आदेश को गायब करने के संबंध में की गई कार्यवाही इत्यादि संबंधित सूचना चाही गई। जिसके संबंध में कारणों सहित सूचना देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया। परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के आवेदन में अंकित कथनों से परे जाकर अपील में अभिवचन प्रस्तुत किये जो अपील की कार्यवाही में सुनने योग्य नहीं है।

   उल्लिखित है कि अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने से पूर्व अपने आवेदनो के साथ कथित नोटशीट व आदेश की कोई स्पष्ट विगत एवं प्रतिलिपि पेश नहीं की। आश्चर्यजनक रूप से यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा कथित नोटशीट एवं आदेश की प्रति संलग्न की है। अपीलार्थी द्वारा इस स्तर पर यह दस्तावेज प्रस्तुत कर अपील में कथन किये जा रहे हैं कि "क्रमांक-एफ( )जनकल्याण/शिविर/8675 दिनांक 20.11.2017 (प्रतिलिपि संलग्न है) द्वारा मुझ प्रार्थी को राजसमन्द जिले की सूचना प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर श्री सोमनाथ जी मिश्रा, आईएएस तत्कालीन अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा मुझ प्रार्थी के स्थान पर श्री गोपाल कसारा, क.लिपिक की ड्यूटी लगाने हेतु कार्यालय टिप्पणी दिनांक 21.11.2017 को श्री भवानीसिंह जी देथा सा. आईएएस, तत्कालीन संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रस्तुत की थी, जिस पर श्री देथा सा. द्वारा ओके लिखा गया था तथा प्रस्तावित संशोधित आदेश पर हस्ताक्षर किये थे। चूंकि श्री कसारा प्रतिदिन श्रीमती अर्चना रांका के लिए फ्रुट लाता था, इसलिए श्रीमता रांका द्वारा उक्त नोटशीट मय हस्ताक्षरित आदेश को गायब कर दिया व लोक सूचना अधिकारी के जवाब से यह संदेह उत्पन्न होता है कि श्रीमती रांका द्वारा उक्त राजकीय दस्तावेजों को नष्ट भी कर दिया गया है। श्रीमती रांका उक्त राजकीय अभिलेख नष्ट/गायब कर निश्चित हो गई परन्तु उसे क्या पता था कि उसका भला चाहने वाले इस कार्यालय में ओर भी है, जिन्होने न केवल उक्त दोनों आईएएस अधिकारियों की हस्ताक्षरित नोटशीट व श्री देथा सा के हस्ताक्षरित संशोधित आदेश की फोटोप्रतियां मेरे टेबल पर वर्ष जनवरी 2020 में किसी के द्वारा रखी हुई मुझे मिली जिसकी प्रतियां संलग्न है। अतः लोक सूचना अधिकारी श्री विनय पाठक का यह जवाब कि आक्षेपित वृतांक का विवरण इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं न ही आक्षेपित वृतांत होना पाया गया, बिल्कुल मिथ्या अंकित किया गया है।"

   अपीलार्थी के उपरोक्त आक्षेप के संबंध में यहा यह उल्लेख किया जाना अत्यावश्यक है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश, संशोधित आदेश एवं कार्यालय टिप्पणी प्रस्तुत की है, जो अपील पेश करने से पूर्व कभी भी प्रस्तुत नहीं की गई। कथित संशोधित आदेश व कार्यालय टिप्पणी दिनांक 21.11.2017 को तत्कालीन अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं तत्कालीन संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा हस्ताक्षरित की गई है। यह प्रमाणित करता है कि दिनांक 21.11.2017 को श्रीमान सोमनाथ मिश्रा सा., तत्कालीन अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्यालय का कार्य सम्पादित किया गया और सभी पत्रावलियों का निस्तारण भी उन्ही के द्वारा

संभागीय आयुक्त

*किया गया। अपीलार्थी श्री विनोद गहलोत, स्टेनों तत्समय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निजी सहायक पद पर कार्यरत थे और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के कार्यालय से संबंधित समस्त पत्राचारों एवं समस्त अनुभागों की पत्रावलियां उनके मार्फत ही अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर एवं तत्पश्चात् संभागीय आयुक्त, उदयपुर को उनकी निजी अनुभाग के मार्फत भेजी जाती है। इसी प्रकार संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर को भेजी गई पत्रावलिया पुनः अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निजी अनुभाग के मार्फत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश होती है। संलग्न कथित कार्यालय टिप्पणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर कथित कार्यालय टिप्पणी संभागीय आयुक्त, उदयपुर को भेजी गई जो प्रचलनानुसार निजी अनुभाग के मार्फत भेजी गई और पुनः हस्ताक्षर उपरान्त अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निजी अनुभाग को भेजी गई। यहा यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि यह कार्यालय टिप्पणी संबंधित अनुभाग के कार्मिक द्वारा प्रस्तुत न कर सीधे ही श्रीमान सोमनाथ मिश्रा सा, तत्कालीन अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा संभागीय आयुक्त, उदयपुर को भेजी गई है। कार्यालय टिप्पणी के अवलोकन से प्रकट होता है कि संभागीय आयुक्त, उदयपुर के हस्ताक्षर उपरान्त कथित कार्यालय टिप्पणी एवं संशोधित आदेश अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पास आने उपरान्त संबंधित अनुभाग को भिजवाये जाने हेतु अंकित किया जाना चाहिए था, परन्तु इस प्रकार का कोई अंकन नहीं किया गया है। यह कार्यालय टिप्पणी व संशोधित आदेश, न तो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर एवं न ही संबंधित अनुभाग में भिजवाया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निजी अनुभाग में कार्यरत श्री विनोद गहलोत द्वारा जानबुझकर इस कार्यालय टिप्पणी एवं संशोधित आदेश को छिपाया गया। उक्त अपील में भी श्री विनोद गहलोत को यह कार्यालय टिप्पणी एवं संशोधित आदेश किसी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई, का स्पष्ट विवरण एवं पाये जाने की स्पष्ट तिथि अंकित की जाती है, जो संदेह उत्पन्न करती है। साथ ही श्री विनोद गहलोत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में भी कार्यालय टिप्पणी एवं संशोधित आदेश की स्पष्ट तिथि अंकित करते, जो नहीं की गई। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति से यह प्रकट होता है कि **श्री विनोद गहलोत स्वयं द्वारा अपने पद का दुरपयोग करते हुए उक्त कार्यालय टिप्पणी एवं संशोधित आदेश को गायब किया गया** और द्वेषतावशं श्रीमती अर्चना रांका पर आरोप लगाये जबकि उक्त दिवस को स्वयं तत्कालीन अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर कार्यालय में उपस्थित थे। **जानबुझकर अधुरी एवं अस्पष्ट तथ्य अंकित कर राजकीय कार्यालयों से सूचना मांगकर, संबंधित अधिकारिगण को भ्रमित करना राजकीय समय का दुरपयोग किया जाना बिल्कुल अनुचित है एवं प्रचलित सेवा नियमों के तहत कार्यवाही योग्य है। इस स्तर पर यह कार्यालय टिप्पणी एवं संशोधित आदेश पेश किया जाना, उनके अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पद पर रहते हुए राजकीय दस्तावेज के छेड़छाड़ कर गायब किये जाने के कृत्य को प्रमाणित करता है, जिससे श्री विनोद गहलोत के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाने योग्य है।***

जहां तक सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन के तहत सूचना देने का प्रश्न है, अपीलार्थी का ससमय सूचित किया गया था कि कार्यालय अभिलेखों और उपलब्ध जानकारी अनुसार आक्षेपित वृंतात का विवरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और न ही आक्षेपित

वृंतात होना पाया गया हैं। कार्यालय में संचालित समस्त अनुभागों द्वारा कथित वृंतात के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदित सूचना, सूचना के रूप में परिभाषित नहीं है। आप द्वारा चाही गई सूचना काल्पनिक व कयासी आधार पर होने से वांछित सूचना शून्य है।

विशेष कथनः-

साथ ही प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना का व्याख्या करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

उल्लिखित है कि अपीलार्थी स्वयं एक राजकीय कर्मचारी होकर वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर में स्टेनों के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, जो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पद पर रहे, के संबंध में अशोभनीय एवं अनुचित शब्दों का उपयोग किया गया है, जो आचरण नियमों के विपरित होकर अपीलार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी के प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता, लोक सूचना अधिकारी, द्वारा अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने का श्रम करावें।''

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 3652 दिनांक 10.10.2022 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त पत्र दिनांक 10.10.2022 अपीलार्थी को जरिये आरटीआई पोर्टल, प्रस्तुत ईमेल एवं रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ईमेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

लोक सूचना अधिकारी/अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर के प्रत्युतर पर अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित प्रतिकिया दिनांक 16.10.2022 को जरिये ईमेल प्रेषित की।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब, लिखित प्रतिकिया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया।

विधिक स्थिति यह है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना का व्याख्या करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्रावधित है

कि मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। **हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में कथित वृतांत का उल्लेख कर विभिन्न बिन्दुओं पर कथित सूचना चाही गई। कार्यालय अभिलेखों और उपलब्ध जानकारी अनुसार आक्षेपित वृंतात का विवरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने और न ही आक्षेपित वृंतात होना पाया गया हैं। कार्यालय में संचालित समस्त अनुभागों द्वारा कथित वृंतात के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया है। वांछित सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदित सूचना, सूचना के रूप में परिभाषित नहीं है। विधिक स्थिति और सूचना संधारण के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ससमय सूचित कर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफलता प्राप्त की है।**

आश्चर्यजनक रूप से हस्तगत प्रकरण में पाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में कुछ दस्तावेजों के संबंध में सूचना मांगी गई, जिसमें उसके द्वारा दस्तावेजों का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया। तत्पश्चात अपीलीय कार्यवाही के दौरान अपील के साथ कथित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो पहली दफा जाहिर किये गये है। अपीलार्थी श्री विनोद गहलोत, स्टेनों इस कार्यालय में पिछले कई वर्षो से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निजी सहायक पद पर कार्यरत रहा था और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के कार्यालय से संबंधित समस्त पत्राचारों एवं समस्त अनुभागों की पत्रावलियां उनके मार्फत ही अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर एवं तत्पश्चात् संभागीय आयुक्त, उदयपुर को उनकी निजी अनुभाग के मार्फत भेजी जाती है। हम लोक सूचना अधिकारी के जवाब से पूर्णतया सहमत है कि अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निजी सहायक पद पर कार्यरत रहते हुए अपने पद का दुरपयोग करते हुए कथित दस्तावेज गायब किये गये और जानबुझकर अन्य अधिकारी पर आरोप मढ़ने की कोशिश की गई है। उक्त अपील में भी श्री विनोद गहलोत को यह कार्यालय टिप्पणी एवं संशोधित आदेश किसी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई, का स्पष्ट विवरण एवं पाये जाने की स्पष्ट तिथि अंकित नहीं की जो उनके इस कृत्य की पुष्टि करती है। यदि अपीलार्थी की मंशा राजहित में होती तो वह अपने आवेदन में भी इन दस्तावेजों का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता, परन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अपनी लिखित प्रतिकिया भी अपीलार्थी द्वारा उक्त स्थिति में उजागर होने से अन्य कार्मिकों पर आक्षेप लगाया गया जबकि इसके संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। इसके अतिरिक्त लिखित प्रतिकिया में अन्य कई काल्पनिक वृतांतों का भी उल्लेख किया जिसका होना इस कार्यालय के अभिलेखों से होना जाहिर नहीं आया है। लिखित प्रतिकिया में उल्लेखित काल्पनिक कथनों से अपीलार्थी की दुरभावना

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

प्रतीत होती है। उक्त कथित दस्तावेजों का अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाना उसके कथित दस्तावेजों को गायब किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही जानबुझकर अधुरी एवं अस्पष्ट तथ्य अंकित कर राजकीय कार्यालयों से सूचना मांगकर, संबंधित अधिकारिगण को भ्रमित करना, अन्य अधिकारी/कार्मिकों पर मिथ्या आरोप लगाना, राजकीय समय का दुरपयोग किया जाना बिल्कुल अनुचित है।

अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं आवेदन में अंकित अनुरोध के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि अपीलार्थी द्वारा इस स्तर अपने जवाब में पुनः कयासी आधार पर नवीन काल्पनिक/कयासी तथ्य प्रस्तुत किये है, जिसका उल्लेख लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने प्रत्युतर में भी किया गया है। **लिखित प्रतिकिया और अपील मेमों में प्रस्तुत कथनों, जो कयासी/काल्पनिक आधार पर किये गये है, के संबंध में अपीलार्थी दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिससे प्रस्तुत कथन कतई ग्रहण करने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाते है।**

अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया है कि उसके द्वारा आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया है, न की राजकीय कार्मिक की हैसियत है। यहा हम यह उल्लेख किया जाना उचित समझते है कि एक तरफ से अपीलार्थी अपने आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने का कथन करता है और दूसरी तरफ स्वयं अपने राजकीय कार्मिक होने एवं इस कार्यालय में पूर्व में कार्यरत होकर कथित वृतांत का उल्लेख करता है जो अपीलार्थी द्वारा स्वयं विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यहा हम यह भी विवेचित किया जाना उचित समझते है कि अपीलार्थी स्वयं एक राजकीय कर्मचारी होकर वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर में स्टेनों के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी के संबंध में अशोभनीय एवं अनुचित शब्दों का उपयोग किया गया है, जो उचित नही है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट होता है कि **लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2022 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन में वर्णित 05 बिन्दुओं की वांछित सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। हम यह भी पाते है कि अपीलार्थी के आवेदन का लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विनिश्चय किया है और अपीलार्थी अपने कथनों को सफलता पूर्वक साबित नही कर पाया जिससे प्रस्तुत अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।**

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

02- श्री विनोद गहलोत पिता श्री देवकृष्ण टेलर, 78, गणेशघाटी, उदयपुर-313001

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर (राज.)